

फर्द अहकाम
न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर
जगदीश बहाल मन्डी

56/25 JL

विशेष विवरण

नाक आज्ञा
कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

1) 625 पञ्जवली प्रभुता वकील प्राणी उपस्थित / अप्रणी
/ ता 21 अउपस्थित है पूर्व के नै अनुपस्थित
रहे है का! उनके विकरु एक पत्रीय कार्यवाही
की जाती है। पञ्जवली वाले बहस किंग
21 25 को पेका हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

2) 255 पञ्जवली प्रभुता वकील प्राणी उपस्थित।
प्राणी कथिवक्ता से बहस पुनीगरी। प्राणी व
अप्राणी गण सहजाते डाट है। अप्राणी गण बिना
विधि विधान के उम्ह कारापी को खुद-कुद
एक बेयात करने पर आकाडाई यदि अप्राणी गण
उपर कूल करने में सफल हो जाते हैं तो प्राणी गण
को अप्रणीय सति होने की प्रबल संभावना है।
अतः अप्राणी गण को जरिमे कस्यारि निषेधात्ता
से पाबंद किया जावे।

दूजे पञ्जवली का अवलोकन किया।
वाड बंधवार से संबधित है, यदि अप्राणी गण
बिना विधि विधान के विधि मू-अण को खुद-कुद
एक बेयात करेते हैं तो प्राणी वाडी के वाड का को निलय
समान होने की संभावना है, अतः वाड बाहुल्मता को
बेकै व उनके संरक्षण हेतु इस न्यायालय के आदेश
दिनांक 10/05/2025 को मूलवाड के निस्तारण तक
स्थाई किया जाता है।

पञ्जवली प्रभुता शुभाह हो कर
डाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

